अनवान गेनासिंह v/s राजूसिंह

मुकदमा नंबर 84 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-11-2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित । तहसीलदार सिवाना से रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण ने ग्राम दरबला में अवस्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 134 में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 18 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 132 व 133 मे से रास्त की मांग की है, विवादित खसरा ग्राम दरबला व काठाडी की सीमा पर अवस्थित है, पूर्व में जो रास्ता चल रहा था प्रार्थीगण द्वारा उसी रास्ते की की मांग की गई है, तहसील सिवाना के सर्वे रिसर्वे के कार्य के दौरान उक्त खसरा ग्राम काठाडी के खाता संख्या 1 खसरा संख्या 284 रकबा 0.8915 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज हो गया है, वर्तमान में उक्त रास्ता चालू है जो प्रार्थी के खेत तक जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क अन्य खातेदार की जोत मे से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो तो, नया रास्ता घोषित किया जाना चाहिए हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रास्ता मौजूद तथा वर्तमान में चालू है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2026.05.07 12:42:46 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	